

कार्यालय अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)

क्रमांक/391-A/ छात्र./स्था/2018

खण्डवा दि. 07.05.18

// नोटिस //

स्वशासी समिति चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा में पूर्व से निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर 100 एम.बी.बी.एस. प्रवेश हेतु एम.सी.आई. से Recognition letter के मापदण्ड अनुसार सीनियर रेसिडेन्ट एवं जूनियर रेसिडेन्ट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित पदावधि (Tenure) से पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में **वॉक-इन-इंटरव्यू** हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

सीनियर रेसीडेन्ट (निश्चित वेतन रु.49,000/- प्रतिमाह)

S.N O	SUBJECT	VACANT POSTS	UNRESERVED (UR)	SCHEDULE TRIBE (ST)	SCHEDULE CASTE (SC)	OTHER BACKWARD CASTE(OBC)
1	GENERAL MEDICINE	03	01+01F	00	01F	00
2	PAEDIATRICS	02	01	01	00	00
3	TUBERCULOSIS& RESPIRATORY DISEASE	01	01	00	00	00
4	DERMATOLOGY, VENEROLOGY &LEPROSY	01	01	00	00	00
5	PSYCHIATRY	01	01	00	00	00
6	GENERAL SURGERY	04	01+01F	01	01	00
7	ORTHOPAEDICS	02	01	01	00	00
8	OTO-RHINO- LARYNGOLOGY	01	01	00	00	00
9	OPHTHALMOLOGY	01	01	00	00	00
10	OBSTETRICS& GYNAECOLOGY	02	01F	01F	00	00
11	ANAESTHESIOLOGY	03	01+01F	01F	00	00
12	RADIO-DIAGNOSIS	02	01	01	00	00
	TOTAL	23	11+04F	04+02F	01+01F	00


जूनियर रेसीडेन्ट (निश्चित वेतन रु 36000/- प्रतिमाह)

S.N O	SUBJECT	VACAN T POSTS	UNRESERVED (UR)	SCHUDU LE TRIBE (ST)	SCHEDULE CASTE (SC)	OTHER BACKWARD CASTE(OBC)
1.	GENERAL MEDICINE	06	02+02F	01	00	01F
2.	PAEDIATRICS	04	02	01	01F	00
3.	TUBERCULOSIS& RESPIRATORY DISEASE	02	01	01	00	00
4.	DERMATOLOGY VENEROLOGY &LEPROSY	02	01	01	00	00
5.	PSYCHIATRY	02	01	01F	00	00
6.	GENERAL SURGERY	08	02+02F	02	01	01
7.	ORTHOPAEDICS	03	02	01	00	00
8.	OTO-RHINO- LARYNGOLOGY	01	01	00	00	00
9.	OPHTHALMOLOGY	00	00	00	00	00
10	OBSTETRICS& GYNAECOLOGY	04	02F	01F	01F	00
11	ANAESTHESIOLOGY	04	01+01F	01F	01	00
12	DENTISTRY	----	----	----	----	00
	TOTAL	36	13+07F	07+03F	02+02F	01+01F

(Handwritten Signature)

अन्य शर्तें:-

- 1 इन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसीडेन्स से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
- 2 आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।
- 3 म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
- 4 उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
- 5 सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
- 6 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 7 उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
- 8 जूनियर रेसीडेन्ट के पद पर चयनित उम्मीदवार को आवश्यकतानुसार अन्य विभाग जिसमें आकस्मिक विभाग भी सम्मिलित है में पदस्थ किया जा सकता है।
- 9 सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर चयनित उम्मीदवार को आवश्यकतानुसार अन्य स्थान पर कार्य करने हेतु आदेशित किया जा सकता है।
- 10 साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले चिकित्सकों को स्कूटनी समिति के समक्ष यह शपथ पत्र देना होगा कि उनका नाम पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में नहीं है एवं उनके विरुद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नहीं है।
- 11 सीनियर रेसीडेन्ट हेतु अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रहेगी।
- 12 साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।



अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय
स्वशासी संस्था, खण्डवा (म.प्र.)

क्रमांक/391-B / छात्र./स्था/2018

खण्डवा, दिनांक: 07.05.18


प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागायुक्त एवं अध्यक्ष स्वशासी संस्था उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधिष्ठाता, मेडिकल कॉलेज, इन्दौर/ भोपाल / जबलपुर / ग्वालियर एवं रीवा की ओर भेजकर निवेदन है कि अपने कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर उक्त नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का कष्ट करें।
5. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ तथा अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर तत्काल चस्पा करने हेतु।
6. समस्त नोटिस बोर्ड: चिकित्सा महाविद्यालय / म.य.चिकित्सालय / चा.ने.बा.चि. / मानसिक चिकित्सालय / केन्सर चिकित्सालय / मेडिकल छात्रावास / लायब्रेरी / चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा से संबद्ध जिला चिकित्सालय।


अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय
स्वशासी संस्था, खण्डवा (म.प्र.)

नोट:- आवेदन का प्रारूप शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी एवं विस्तृत विवरण संस्था की वेबसाइट www.gmckhandwa.org से प्राप्त की जा सकती है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वॉक इन इंटरव्यू दिनांक 08.05.18 (मंगलवार) को प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे तक महात्मा गान्धी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जा कर, प्रमाण पत्रों की स्कूटनी का कार्य आरम्भ होगा तथा उसी दिन साक्षात्कार आयोजित किये जाएंगे। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्रमांक एफ-4-7/2010/1/55 दिनांक 25.08.10 के प्रावधान के अनुसार सभी स्नातकोत्तर छात्र जिनका चयन सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा कि वे बांड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाएं देंगे। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बाण्ड की शर्तें लागू हो जाएगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।


अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय
 स्वशासी संस्था, खण्डवा (म.प्र.)

वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु नियम एवं शर्तें

नोट:-

- 1 आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार।
- 2 आवश्यकतानुसार पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती हैं। रिक्त पदों की संख्या की स्थिति समय-समय पर वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जावेगी।
- 3 उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित है।
- 4 सीनियर रेसीडेन्ट हेतु अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी। उक्त परिस्थिती में रिक्तियों की कैटेगिरी में परिवर्तन किया जा सकता है।
- 5 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।

शर्तें: यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 अवधि:- सीनियर रेसीडेन्ट्स की सेवा-अवधि (Tenure) तीन वर्ष की होगी इनकी 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात् सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01-01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 03 वर्ष तक बढ़ाई जावेगी।
- 2 नियुक्ति का तरीका:- योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस./ सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
- 3 शैक्षणिक योग्यता:- संबंधित विषय में एम.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त एम.डी./एम.एस.। जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनांक से पिछले पांच वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है वे ही इस पद के लिये पात्र होंगे। सीनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सकों ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा में समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
- 4 जूनियर रेसीडेन्ट हेतु:- जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनांक से पिछले तीन वर्ष के अन्दर एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है वे ही इस पद के लिये पात्र होंगे। जूनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सको ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
- 5 यात्रा भत्ता:- साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।